न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/66

	प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1	उरजाराम पुत्र रामदयाल	1	उम्मेदराम पुत्र दुर्गाराम
2	हेमाराम पुत्र रामदयाल	2	प्रकाश पुत्र केवलराम
	जातियान माली निवासीगण	3	बाबुलाल पुत्र मलाराम
	सांखलो का बेरा	4	भाकरराम पुत्र दुर्गाराम
	पीपाड़ शहर	5	रमेश पुत्र दुर्गाराम
			जातियान माली निवासीगण सांखलो का बेरा पीपाड़ शहर
		6	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

दर्ज दिनांक 19/02/2024

1. श्री पृथ्वीराज चौहान प्रार्थीगण 1 से 2 की ओर से
2. श्री निर्मल कटारिया अप्रार्थीगण 1 से 5 की आरे से
3. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी संख्या 06

निर्णय

दिनांकः– 13/11/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1474 क्षेत्रफल 0.4288 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि स्थित है सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से क़ब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण सावणु फसल की बुवाई करते आये है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार / तारबंदी करवाना चाहते है जिस बाबत प्रार्थीगण ने विधिवत् रूप से तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर के यहां आवेदन कर वादग्रस्त आराजी का माप चौप कर सीमांकन करवा लिया है लेकिन प्रार्थीगण के खेत के दक्षिण तरफ स्थित खेत खसरा नबंर 1477 के काश्तकार अप्रार्थी संख्या एक से पांच तहसील कार्यालय द्वारा किये गये माप चौप को नहीं मान रहे है तथा तथा प्रार्थीगण के खेत की भूमि को अपनी भूमि बतातें है तथा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए वादग्रस्त आराजी के मौके पर सीमांकन को लेकर भारी विवाद है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढी / मुण्डागढ़ी करवाई जानी अति आवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगा एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगे एव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगें। अप्राथी संख्या 06 को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपाड शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1474 क्षेत्रफल 0.4288 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाने का तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमायें एंव मौके पर अप्रार्थीगण को पत्थरगढी / मुण्डागढी करवायें जाने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद किया जावे व जरूरत पडनें पर पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढी / मुण्डागढ़ी किये जाने के सादर आदेश फरमायें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता निर्मल कटारिया ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मौके पर वादग्रस्त आराजी के सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है तथा ऐसे कोई विवाद होने की रिपोर्ट भी राजस्व अधिकारियो द्वारा नही की गई है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1477 को लेकर विवाद बताया है जबकि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1474 के उत्तर तरफ खसरा नबर 1468 रास्ता की भूमि, पूर्व तरफ खसरा नम्बर 1473 की भूमि, पश्चिम तरफ खसरा नम्बर 1475, 1476 की भूमि आई हुई है लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बर 1468,1473,1475,1476 के खातेदारान को अपने प्रार्थनापत्र में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है तथा प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में मात्र 1477 के खातेदार अप्रार्थी संख्या एक से पाच को ही पक्षकार संयोजित किया है जबकि खसरा नबंर 1477 में कुल 36 खातेदार है अन्य सहखातेदारों को अपने प्रार्थनापत्र में पक्षकार संयोजित नही किया है इसलिए प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। खसरा नबर 1477 में आबादी बस चुकी है तथा नगरपालिका पीपाड शहर द्वारा खसरा नबंर 1477 के खातेदारो को उनके कब्जा अनुसार पट्टे भी जारी किये गये है जिसमें से अप्रार्थी संख्या एक के नाम पट्टा संख्या 987 दिनांक 30.6.2023 कुल 202.22 वर्गगज, अप्रार्थी संख्या चार के नाम पट्टा संख्या 984 दिनाक 30.6.2024 कुल क्षेत्रफल 199.69 वर्गगज व अप्रार्थी संख्या पांच के नाम पट्टा संख्या 985 दिनांक 30.06.2024 कुल क्षेत्रफल 213.5 वर्गगज का जारी हो रखा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1477 में नगरपालिका द्वारा पूर्ण नाप चौप कर रास्तें की भूमि छोडकर नियमानुसार पट्टे जारी कर रखे है, इस प्रकार खसरा नबंर 1474 में विवाद होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि खसरा नबंर 1474 के खातेदारों को दक्षिण में स्थित खसरा नबंर 1477 की माठ को लेकर कोई वाद विवाद होता तो जब नगरपालिका द्वारा पट्टे जारी करते समय जो आपत्तियों आमंत्रित की गई थी तो प्रार्थीगण तत्समय जरूर नगरपालिका पीपाड शहर में अपनी उज्रदारी प्रस्तुत करते लेकिन प्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक नगरपालिका में ऐसी कोई उज्रदारी प्रस्तुत नही की गई है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में नगरपालिका पीपाड शहर को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया है। प्रार्थीगण ने मात्र कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए असद्भाविक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण ने नगरपालिका पीपाड शहर को उक्त प्रार्थनापत्र में पक्षकार संयोजित नही किया है तथा खसरा नबंर 1477 में नगरपालिका पीपाड शहर द्वारा आवासीय पट्टे जारी कर दिये जानें से न्यायालय को प्रार्थनापत्र सुननें का श्रवणाधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी निर्मल कटारिया ने अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से नगर पालिका पीपाड़ शहर को पक्षकार संयोजित किये जाने बाबत् आदेश 01 नियम 10 सीसीपी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर बहस वकुलाय सुनी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

अप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1474 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1474 की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 से 5 ने प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को पुनः दौहराते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 1474 की भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 13/11/2025 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर